न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर झालावाड
पीठासीन अधिकारी : दाताराम आर.ए.एस.

प्रकरण सं. 7/2019 (26 एफएसएसए) सरकार बनाम जालमसिंह
(ऑनलाइन प्रकरण सं. 2019/00061)

श्री गोविंद सहाय गुर्जर खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोटा तत्कालीन अतिरिक्त आवंटित कार्यक्षेत्र जिला झालावाड़।

..... प्रार्थी

बनाम

श्री जालमसिंह पुत्र श्री नैनसिंह उम्र 32 वर्ष जाति राजपुरोहित निवासी पचपहाड़ रोड रेल्वे स्टेशन चौराहा भवानीमण्डी झालावाड़, राजस्थान। (विक्रेता एवं मालिक मैसर्स जोधपुर स्वीट्स एवं नमकीन रेल्वे स्टेशन चौराहा भवानीमण्डी, झालावाड़।

..... अप्रार्थीगण

अपराध अंतर्गत धारा 26 (2)(ii) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011

उपस्थित :

1 प्रार्थी की ओर से खाद्य सुरक्षा अधिकारी झालावाड़।
2 अप्रार्थी की ओर से श्री जालमसिंह स्वयं।

निर्णय

दिनांक 28.02.2020

1 प्रार्थी की ओर से इस्तगासा इस प्रकार पेश किया है कि श्री गोविन्द सहाय, दिनांक 04.11.18 से खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झालावाड़ में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का अतिरिक्त कार्य सम्पादन कर रहा हूँ और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 29.11.11 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया है–श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन–स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज. जयपुर के आदेश क्रमांक/एच/एफएसएसए /एफ 28 नोटिफिकेशन/2012/172 दिनांक 01.02.12 के अनुसार मुझे कार्य क्षेत्र कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोटा एवं ब्रास सील नं0 93 आवंटित किया गया है, और श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक जन स्वास्थ्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक एफ एसएसए/2018/863 दिनांक 30.10.18 के द्वारा मुझे जिला झालावाड़ अतिरिक्त कार्य क्षेत्र आवंटित किया गया है जिससे झालावाड़ जिले

28/2/20
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड़ (राज०)

के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्यक्षेत्र में आते है। अधिसूचना एवं आदेश की छाया प्रतियॉ आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपने आवेदन मे आगे वर्णित किया गया कि दिनांक 11.10.18 को समय 11.30 पीएम पर जोधपुर स्वीटस एवं नमकीन रेल्वे स्टेशन चौराहा भवानीमण्डी का निरीक्षण किया जहॉ पर श्री जालम सिह खाद्य पदार्थ मिल्ककेक, मिठाई नमकीन आदि की बिक्री का कार्य कर रहा था, जिनको मैने अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा खाद्य पदार्थ अनुज्ञापत्र 2018 के बारे में पूछा खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञा पत्र 2018 मौके पर दिखाया एवं स्वंयम को प्रतिष्ठान का मालिक होना बताया।

निरीक्षण करने पर पाया गया कि आम जनता को विक्रय हेतु खाद्य पदार्थ मिल्ककेक (दूध एवं शक्कर से निर्मित) एक स्टील की ट्रे में लगभग 4 किलोग्राम रखा हुआ था जिसमें मिलावट का शक होने पर मिल्ककेक (दूध एवं शक्कर से निर्मित) 2 किलोग्राम एक साफ सुखी एवं खाली ट्रे में वास्ते नमूना जॉच हेतु खरीदा जिसकी सूचना विक्रेता को फार्म नं0 5 ए में भरकर एक प्रति विक्रेता को देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं खरीदे गये खाद्य पदार्थ मिल्ककेक (दूध एवं शक्कर से निर्मित) 2 किलोग्राम की कीमत विक्रेता को रू0 480 नकद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थिति गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वंय आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये जो आवेदन के साथ संलग्न है।

खरीदशुदा मिल्ककेक (दूध एवं शक्कर से निर्मित) को एकरूप करके चार साफ सुखी व खाली चोडे मूँह की कांच की शीशियों में बराबर–बराबर भरा प्रत्येक शीशी में फार्मलीन की 40–40 बूंदे डाली एवं ढक्कन को एयर टाईट बन्द किया एवं लेबल तैयार कर प्रत्येक शीशियों पर चिपकाये और लेबलों पर डीओ कोड एवं क्रमांक वी–972 दर्ज किया प्रत्येक लेबल पर स्वंय ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर करवाये चारों नमूना भागों को अलग–2 खाकी कागज मे लपेट कर प्रत्येक भाग पर डीओ कोटा की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप नं. वी–972 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। कार्यालय पहूँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ तैयार कर प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया, एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर मुख्य खाद्य विशलेशक कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो आवेदन के साथ संलग्न है, दो फार्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक कोटा को जमा कराकर फार्म सं. 6 की रसीद प्राप्त की जो आवेदन के साथ संलग्न है शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूना का चौथा भाग डीओ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झालावाड़ को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो आवेदन के साथ संलग्न है।

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड़ (राज०)

डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झालावाड़ के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2018/165 दिनांक 01.01.19 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. 740/एफ.एस.एस.ए./कोटा एक्ट/2018/800 दिनांक 21.12.18 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया, खाद्य प्रदार्थ मिल्ककेक (दूध एवं शक्कर से निर्मित) असुरक्षित होना पाया गया जांच रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है। श्रीमान अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झालावाड़ नं पत्र क्रमांक/एफएफएफए/2018/165 दिनांक 01.01.19 के द्वारा खाद्य कारोबारकर्ता को जांच रिपोर्ट की प्रति भिजवाई गई जिसके विरुद्ध खाद्य कारोबारकर्ता द्वारा अपील प्रस्तुत की गई जिसे स्वीकार कर नमूने का द्वितीय भाग रेफरल पूणे भिजवाया गया जिस पर रेफरेल लैब पुणे के सर्टिफिकेट सं0 आरएफएल /डीओ/39/19/132/2019 दिनांक 07.02.19 द्वारा नमूना धारा 3.1 (जेडएक्स) के तहत अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) पाया गया है जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

अभिहित अधिकारी एवं चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी झालावाड द्वारा अपने पत्र क्रमांक एफएसएसए/2019/110 दिनांक 27.09.19 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त प्रकरण मे न्याय निर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है। इसी के साथ निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में गैरसायल ने खाद्य पदार्थ मिल्ककेक (दूध एवं शक्कर से निर्मित) का निर्माण एवं विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है, जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

2 इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को जर्ये नोटिस तलब किया गया एवं नोटिस मे नियत दिनांक एवं समय पर अम्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु अवसर प्रदान किया गया। गैर सायल द्वारा निर्धारित दिनांक को उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत अपनी मौखिक बहस में अनुरोध किया गया कि उसके द्वारा उक्त मिल्ककेक का निर्माण अन्य दूध डेयरी उत्पादकों से लिया जाकर मावा तैयार कर केक का निर्माण किया जाता है। अब भविष्य में उक्त दूध जांच पडताल कर ही काम में लिया जायेगा भविष्य में इस की पुनरावृति नही होगी जुर्म स्वीकार करता हूँ कम से कम जुर्माना कर प्रकरण का निस्तारण फरमावें।

3 पेरोकार सरकार द्वारा अपनी बहस में आवेदन के तथ्य की पुष्टि मे संलग्न किये गये दस्तावेजो की ओर ध्यान आकर्षित करते हुऐ कथन किया कि गैरसायल द्वारा खाद्य पदार्थ मिल्ककेक (दूध एवं शक्कर से निर्मित) सबस्टेण्र्ड का विक्रय किया जाना पत्रावली पर उपलब्ध खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट से साबित होता है। आवेदन किये जाने हेतु पदाभिहित अधिकारी से प्राप्त लिखित प्राधिकार भी आवेदन के साथ सलग्न किया गया है। गैर सायलान से अवमानक खाद्य पदार्थ मिल्ककेक (दूध एवं शक्कर से निर्मित) सबस्टेण्र्ड के नमूने लिये जाने की कार्यवाही से संबधित दस्तावेज भी आवेदन के साथ सलग्न किये गये है। उक्त सभी दस्तावेजो से साबित होता है कि गैर सायल द्वारा अवमानक खाद्य पदार्थ मिल्ककेक (दूध एवं शक्कर से निर्मित) सबस्टेण्र्ड का भण्डारन एवं विक्रय किया गया है। अतः इस्तगासा स्वीकार फरमाया जाकर गैर सायल को ज्यादा से ज्यादा जुर्माने से

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड़ (राज०)

दण्डित किया जावे ताकि आम जनता को बेचान हो रहे सबस्टेण्र्ड खाद्य पदार्थ पर अंकुश लग सके।

4 उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

5 प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन की पुष्टि पत्रावली पर उपलब्ध सभी दस्तावेजी साक्ष्यों से होती है। इसी के साथ गैर सायल द्वारा अपने अभ्यावेदन/जवाब में अपराध को स्वीकार किया गया है जिससे अप्रार्थी द्वारा अवमानक खाद्य पदार्थ मिल्ककेक (दूध एवं शक्कर से निर्मित) का विक्रय किया जाना सन्देह से परे साबित होता है। अप्रार्थी का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है, जिसके लिए जुर्माने का दण्ड अधिनियम की धारा 51 मे उपबन्धित किया गया है। उपरोक्त प्रावधान को मददेनजर रखते हुऐ गैर सायल श्री जालम सिंह पुत्र श्री नैन सिंह उम्र 32 वर्ष जाति राजपूरोहित को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है परन्तु अप्रार्थी द्वारा अपना अपराध स्वीकार करने एवं भविष्य में ऐसे अपराध की पुनरावृत्ति न करने हेतु आश्वस्त किये जाने पर अप्रार्थी के पक्ष में नरमी का रूख अपनाते हुये 2,50,000/– अक्षरे दो लाख पचास हजार रूपये के जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियमानुसार उक्त राशि वसूली की कार्यवाही कर जुर्माना राशि राजकोष में जमा करा चालान की प्रति न्यायालय में पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

28/2/2020

(दाताराम)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर
झालावाड़

6 निर्णय आज दिनांक 28.02.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/2/2020

(दाताराम)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर
झालावाड़